

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 13.03.2018 को जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में जोन संख्या 03 के उपजोन संख्या 3 डी व सी में साउथ मलाका बैरहना कीट्रगंज क्षेत्र में अवैध निर्माणों के विरुद्ध की गयी सीलबन्दी की कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:-

1. श्री अभय गोस्वामी द्वारा शिवकुटी मंदिर के पूर्व साउथ मलाका में 20X70 के क्षेत्रफल में द्वितीय तल पर किया जा रहा निर्माण सील।
2. श्री प्रदीप कुमार साहू पुत्र श्री फकीरेराम साहू द्वारा कृष्णा नगर कीट्रगंज में 35X35 के क्षेत्रफल में किया जा रहा निर्माण सील।
3. श्री दिलीप केसरवानी द्वारा मकान नं0 131 इन्द्रपुरी बैरहना में 18X60 क्षेत्रफल में किया जा रहा निर्माण सील।
4. श्रीमती सलिल त्रिपाठी पत्नी श्री विवेक कुमार त्रिपाठी द्वारा मकान नं0 131 इन्द्रपुरी बैरहना में 30X60 के क्षेत्रफल में किया जा रहा निर्माण सील।
5. श्री संतोष कुमार वैश्य पुत्र श्री शिव प्रसाद वैश्य द्वारा मकान नं0 259 पुराना दारागंज में चतुर्थ तल पर किये जा रहे निर्माण को सील किया गया।

उक्त कार्यवाही के दौरान जोनल अधिकारी/विशेष कार्याधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय, के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियंता श्री एस.एन.सिंह, ए.डी.ए. प्रवर्तन दल उपस्थित रहे।

(पी.एन.यादव)

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक- समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।


13.03.18
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क